भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) golmoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/32/2017/एफ.सी./587 दिनॉक: 14/11/17

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/21109/2016

विषयः एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग का लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा में किमी0 0 से 20 तक 22.80 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज में एटा–कासगंज मार्ग पर किमी0 21 से 24.3 तक तथा बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 145 से 161.5 तक 24.008 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन विषयक परियोजना में कुल 46.808 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ–: क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक–09.11.2017 की कार्यवाई (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है।

उक्त प्रकरण को दिनांक– 09.11.2017 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक (REC) दिनांक– 09.11.2017 की कार्यवाही की प्रति (REC Agenda item 22.8 -U.P.) संलग्न है।

अतः क्षेत्रीय सशक्त समिति के द्वारा दिए गये निर्देशानुसार अनुपालना राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित है। अतः अनुपालना शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

भवदीय,

संलग्नक– यथोपरि।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, कासगंज, उ0 प्र0।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा व कासगंज, उ0 प्र0।
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली ।

13/11/17
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–1757 एटा–कासगंज मार्ग/21109/2016, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 17, 2017

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि दोनों जनपदों का भारत सरकार द्वारा वांछित मूल प्रमाण–पत्र, एक सप्ताह में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, एटा एवं कासगंज को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार **वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप में** वन संरक्षक, अलीगढ़ को तीन दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा व कासगंज को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

17/11/17
(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।